(2013) 4 एस.सी.आर.821

दयानंद एंग्लो वैदिक (डी.ए.वी.) कॉलेज ट्रस्ट एवं प्रबन्धक सोसाईटी

बनाम

महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य

(सिविल अपील संख्या-2678 वर्ष 2013)

(निर्णय दिनांक 22 मार्च, 2013)

[**सुरिन्दर सिंह निज्जर एवं एम.वाई. इकबाल, जे.जे.**]

भारत का संविधान 1950-अनुच्छेद 30-भाषाई शिक्षण संस्थान-स्थापना एवं प्रशासन-एक राज्य में- अन्य राज्य के भाषाई गैर अल्पसंख्यक सदस्य द्वारा- निर्णित- किसी राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा पाने के लिए आवश्यक है कि संस्थान कीे स्थापना एवं प्रशासन उस राज्य के अल्पसंख्यक व्यक्ति द्वारा हो- एक गैर अल्पसंख्यक अन्य राज्य में ऐसा संस्थान स्थापित एवं संचालित नहीं कर सकता।

शब्द एवं वाक्यांश- 'स्थापना एवं 'प्रशासन'- अनुच्छेद 30 भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में अर्थ।

अपीलार्थी-संस्था द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका के जरिये उत्तरदाता संख्या 2 द्वारा अपीलार्थी-संस्था के भाषाई अल्पसंख्यक

दर्जा को वापस लेने सम्बन्धित आदेश, जो कि इस आधार पर वापस लिया गया कि ट्रस्टियों का बहुमत महाराष्ट्र राज्य में निवास नहीं करता है। इस कारण वह भाषाई अल्पसंख्यक नहीं कहे जा सकते, को चुनौती दी। उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज की।

इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील में यह प्रश्न विचारार्थ आया कि ''क्या किसी एक राज्य का भाषाई गैर अल्पसंख्यक, अन्य राज्य में ट्रस्ट या संस्था स्थापित करके अल्पसंख्यक का दर्जा मांग सकता है।

अपील खारिज की।

न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित : 1. उच्च न्यायालय का यह मत कि राज्य सरकार द्वारा विधि विरूद्ध भाषाई अल्पसंख्यक दर्जा प्रदान करने बाबत प्रमाण पत्र जारी करके की गई त्रुटि को दुरूस्त करने का अधिकार है एवं यह कि स्वीकृत रूप से अपीलार्थी के ट्रस्टी महाराष्ट्र राज्य में नहीं रहते हैं। जहां हिन्दी भाषी व्यक्ति भाषाई अल्पसंख्यक हैं, अपीलार्थी ट्रस्ट/सोसाइटी वैध रूप से अल्पसंख्यक संस्थान होने का दावा नहीं कर सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 द्वारा अल्पसंख्यकों को प्रदत्त अधिकार दो भागों में हैं। प्रथम भाग अल्पसंख्यकों को अपनी पसन्द का संस्थान स्थापित करने का अधिकार एवं द्वितीय भाग उस संस्थान के संचालन का अधिकार। (पैरा 24 एवं 25)

2. यद्यपि, अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को अपने शैक्षणिक संस्थान के संचालन के अधिकार पर कोई परिसीमा आयद नहीं करता है। मगर यह अधिकार परिपूर्ण नहीं है। यह संस्थान के लाभार्थ उचित प्रतिबन्धों के अधीन है। राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय राष्ट्रहित में समय-समय पर उस संस्थान की उत्कृष्टता एवं मानक को बनाए रखने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर सकते हैं। शासकीय प्रस्ताव तारीखी 4.7.08 अल्पसंख्यक दर्जा प्रदान करने की प्रक्रिया निर्धारित करता है। प्रस्ताव में वर्णितानुसार महाराष्ट्र राज्य के ऐसे व्यक्ति, जिनकी मातृभाषा मराठी के अलावा अन्य भारतीय भाषा है। अपने संस्थान को भाषाई अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान के रूप में मान्यता हेतु आवेदन प्रस्तुत करने हेतु योग्य होंगे। इस पर एक मात्र प्रतिबन्ध यह होगा कि संस्थान/सोसाइटी की प्रबन्ध समिति के 2/3 ट्रस्टी उस अल्पसंख्यक समुदाय से होने चाहिए। (पैरा 29 एवं 30)

3. किसी राज्य मे स्थित संस्थान के लिए भाषाई अल्पसंख्यक दर्जा चाहने बाबत, सम्बंधित प्राधीकारी की इस बाबत संतुष्टी आवश्यक है। प्रथमतः संस्थान ऐसे व्यक्तियों द्वारा स्थापित है जो कि राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय से हो। द्वितीयतः यह कि उस भाषाई अल्पसंख्यक संस्थान को संचालित करने का अधिकार उस राज्य के अल्पसंख्यक व्यक्तियों मे निहित होना चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 द्वारा प्रदत्त अधिकार का इस प्रकार निर्वचन नही किया जा सकता कि चाहे किसी व्यक्ति ने राज्य मे अल्पसंख्यक व्यक्तियों के लाभार्थ संस्था कि स्थापना की

होे, कोई व्यक्ति, चाहे वह अन्य स्थान पर गैर- अल्पसंख्यक हो संस्था का प्रशासन एवं संचालन कर सकता है।(पैरा 31)

केरल राज्य आदि बनाम मदर प्रोवेन्सियल आदि ए.आई.आर. 1970 एससी 2079: 1971 (1) एससीआर 734; एस.पी.मित्तल आदि बनाम भारत संघ एवं अन्य ए.आई.आर. 1983 एस.सी. 1:1983 (1) एससीआर 729; ए.पी. क्रिश्चियन्स मेडिकल एजुकेशनल सोसाइटी बनाम आंध्र प्रदेश शासन आदि ए.आई.आर. 1986 एससी 1490: 1986(2) एस.सी.आर. 749; एस.अजीज बाशा और अन्य बनाम भारत संघ आदि ए.आई.आर. 1968 एस.सी. 662: 1968 एस.सी.आर. 833-विश्वास किया।

टी.एम.ए.पाई फाउंडेशन एवं अन्य बनाम कर्नाटक राज्य एवं अन्य (2002) 8 एससीसी 481: 2002(3) पूरक एससीआर 587, पी.ए.इनामदार एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य (2005) 6 एससीसी 537:2005(2) पूरक एस.सी.आर. 603; केरल एजुकेशन बिल 1957, का मामला 1959 एस.सी.आर. 995-संदर्भित।

डी.ए.वी. कॉलेज आदि बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य (1971) 2 एस.सी.सी. 269: कन्या जूनियर हाई स्कूल, बाल विद्या मंदिर, एटा, यू.पी. बनाम यू.पी. बैसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद, यू.पी. एवं अन्य (2006)11 एससीसी 92: 2006 (4) पूरक एस.सी.आर. 813-उद्धत।

संदर्भित न्यायिक दृष्टांत

(1971) 2 एस.सी.सी. 269 -उद्धत किया गया -पैरा संख्या-8

2006 (4)पूरक एससीआर 813- उद्धत किया गया -पैरा संख्या-8

2002(3) पूरक एससीआर 587- संदर्भित किया गया है -पैरा संख्या-13

2005 (2) पूरक एससीआर 603 -संदर्भित किया गया है -पैरा संख्या-14

1959 एससीआर 995 - संदर्भित किया गया है - पैरा संख्या-15

1971 (1) एससीआर 734 -विश्वास किया -पैरा संख्या-25

1983 (1)एससीआर 729 - विश्वास किया -पैरा संख्या-26

1986 (2)एससीआर 749 - विश्वास किया -पैरा संख्या-27

1968 एससीआर 833 -विश्वास किया -पैरा संख्या-28

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील संख्या 2678/2013

माननीय बम्बई उच्च न्यायालय के रिट याचिका संख्या 1053 वर्ष 2010 में पारित आदेश एवं निर्णय दिनांक 24.02.2010 के विरूद्ध अपील

अपीलार्थी के लिए- रंजीत कुमार, एस.एस.राय, राखी राय, निकुंज दयाल, वैभव गुलिया, पायल दयाल, प्रमोद दयाल।

उत्तरदाता के लिए- शंकर चिल्लारगे, आशा गोपालन नैयर।

न्यायालय का निर्णय माननीय **न्यायाधिपति एम.वाई. इकवाल** द्वारा पारित किया गया।

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. अपीलार्थी दयानन्द एंग्लो वैदिक (डी.ए.वी.) कॉलेज, ट्रस्ट एवं प्रबन्धक समिति ने बम्बई उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा रिट याचिका संख्या-1053 वर्ष 2010 में पारित आदेश दिनांक 24.02.2010 को चुनौती दी है। इस आदेश के जरिये खण्डपीठ ने प्रत्यर्थी सं:-2 (प्रमुख सचिव एवं सक्षम प्राधिकारी, अल्पसंख्यक विकास विभाग, महाराष्ट्र सरकार) द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.10.2009, जिसके जरिये अपीलार्थी संस्थान की भाषाई अल्पसंख्यक प्रास्थिति जो कि आदेश दिनांक 11.07.2008 द्वारा प्रदान की गई थी को विद ड्रा किया है, में हस्तक्षेप करने से इंकार किया है।

3. अपीलार्थी समिति के भाषाई अल्पसंख्यक संस्थान के सम्बन्ध में संस्तुति को वापिस लिये जाने का आधार यह था कि पूर्व आदेश जिसके जरिये संस्तुति प्रदान की गई थी वह इस त्रुटी के अधीन था कि अपीलार्थी के ट्रस्टी महाराष्ट्र राज्य में निवास कर रहे थे।

4. इस अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं: अपीलार्थी-सोसाइटी का गठन वर्ष 1885 में किया गया था एवं यह मूल रूप से सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत लाहौर में पंजीकृत हुई एवं बाद में वर्ष 1948 में

पंजाब राज्य में, तत्पश्चात् अपीलार्थी ने सम्पूर्ण भारत में बड़ी संख्या में स्कूल एवं कॉलेज स्थापित किये एवं पूरे देश में उक्त संस्थाओं को चलाया। अपीलार्थी-सोसाइटी का शिक्षण संस्थानों को स्थापित करने का आशय एवं उद्देश्य हिन्दी, पारम्परिक संस्कृत, वेदों एवं विभिन्न भाषाओं, अंग्रेजी में निर्देश प्रदान करने, कला, विज्ञान, चिकित्सा, अभियांत्रिकी आदि के अध्ययन को प्रोत्साहित करना था। सोसाइटी का आगे मामला यह है कि सोसाइटी ने सोलापुर, महाराष्ट्र राज्य में वर्ष 1940 में शिक्षण संस्था प्रारंभ की साथ ही महाराष्ट्र राज्य में विभिन्न स्थानों पर अन्य स्कूल, कॉलेज भी सोसाइटी के है। महाराष्ट्र राज्य में आर्य समाज के अनुयायी एवं हिन्दी भाषी व्यक्तियों की संख्या राज्य की कुल जनसंख्या के 50 प्रतिशत से कम है। इसलिए आर्य समाज से संबंधित एवं हिन्दी भाषा बोलने वाले व्यक्तियों द्वारा बनाये जाने के कारण, अपीलार्थी सोसाईटी को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के अर्थ एवं दायरे के भीतर भाषाई अल्पसंख्यक होने का दावा किया गया है। इन तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी-सोसाइटी का कथन है कि उत्तरदाता महाराष्ट्र राज्य के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2004-05 एवं 2005-06 के लिए पूर्व में अपीलार्थी सोसाइटी को भाषाई अल्पसंख्यक का दर्जा महाराष्ट्र राज्य में प्रदान किया था। यह मान्यता अपीलार्थी को सुनने एवं सभी दस्तावेजात का परिशीलन करने के बाद प्रदान की गई थी। वर्ष 2006-07 के लिए भी दस्तावेजात के परिशीलन के पश्चात् अपीलार्थी-सोसाइटी को भाषाई अल्पसंख्यक घोषित किया गया। जबकि वर्ष 2008 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिनांक

04.07.2008 को एक नया प्रस्ताव जारी करके महाराष्ट्र राज्य में अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं को धार्मिक/भाषाई अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान करने हेतु प्रक्रिया निर्धारित की है। उक्त प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 11.07.2008 को उत्तरदाता ने शैक्षणिक सत्र 2008-09 हेतु भी अपीलार्थी सोसाइटी वाके सोलापुर को प्रमाण पत्र जारी कर भाषाई अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में मान्यता प्रदान की है।

5. अपीलकर्ता-सोसाइटी द्वारा दिनांक 15.7.2008 को एक आवेदन देकर प्रतिवादी नम्बर 1 से सोलापुर के बजाय अपीलकर्ता नई दिल्ली के नाम पर मान्यता प्रमाण पत्र जारी करने का अनुरोध किये जाने पर समस्या उत्पन्न हुई। प्रमाण पत्र में कथित गलती को सुधारने के बजाय, प्रतिवादी नंबर 2 ने अपीलकर्ता को जारी प्रमाण पत्र दिनांक 11.07.2008 को रद्द करते हुए दिनांक 02.08.2008 को एक आदेश पारित किया। उत्तरदातागण ने उपरोक्त आदेश द्वारा वर्ष 2004-05 और 2006-07 के लिए अपीलकर्ता की अल्पसंख्यक भाषाई शैक्षणिक संस्थान के रूप में मान्यता भी रद्द कर दी। अपीलकर्ता की भाषाई अल्पसंख्यक स्थिति की मान्यता को रद्द करने का मुख्य आधार यह था कि यद्यपि अपीलकर्ता-ट्रस्ट को चैरिटी कमिश्नर, मुंबई द्वारा बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया था, लेकिन अधिकांश ट्रस्टी महाराष्ट्र राज्य के निवासी नहीं थे और, इसलिए उन्हें भाषाई अल्पसंख्यक नहीं कहा जा सकता।

6. उत्तरदातागण के उपरोक्त मान्यता रद्द करने बाबत आदेश को चुनौती देते हुए, अपीलकर्ता-सोसाइटी ने रिट याचिका संख्या 284 वर्ष 2009 बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की, जिसे अंततः उत्तरदातागण को इस निर्देष के साथ लौटाया गया कि वह अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देकर एवं अपीलार्थी के सभी दस्तावेजों पर विचार करके पुनः आदेश पारित करें। उस आदेश की अनुपालना में, अपीलकर्ता ने 20.08.2009 को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ एक नया आवेदन दायर किया, जिसमें उत्तरदाता नंबर 2 से अपीलकर्ता की भाषाई अल्पसंख्यक स्थिति को बहाल करने का अनुरोध किया गया। उक्त आवेदन उत्तरदाता ने, अपीलकर्ता-सोसाइटी को सुनने के बाद, अंततः अपीलकर्ता को दी गई भाषाई अल्पसंख्यक स्थिति की पूर्व मान्यता को बहाल करने से इन्कार करते हुए दिनांक 26.10.2009 के आदेश के संदर्भ में खारिज कर दिया। तत्पश्चात अपीलकर्ता-सोसाइटी ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका संख्या 1053 वर्ष 2010 दायर करके दिनांक 26.10.2009 के आदेश को चुनौती दी। उक्त रिट याचिका पर बाद सुनवाई बॉम्बे हाईकोर्ट की डिवीजन बैंच ने दिनांक 24.02.2010 के आदेश द्वारा इसे खारिज कर दिया। आदेश दिनांक 24.2.2010 को बेहतर विवेचन हेतु नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

> ‘‘याचिकाकर्ता-संस्था को शुरू में अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में सिफारिश की गई थी। लेकिन क्योंकि वह

सिफारिश एक गलती के तहत दी गई थी कि याचिकाकर्ता के ट्रस्टी महाराष्ट्र राज्य में रहते हैं। याचिकाकर्ता के ट्रस्टी भाषाई अल्पसंख्यक से संबंधित होने का दावा कर रहे हैं क्योंकि वे हिंदी भाषी लोग हैं। लेकिन याचिकाकर्ता के सभी ट्रस्टी उस क्षेत्र में रहते हैं जहां हिन्दी भाषी बहुसंख्यक हैं। इस कारण, प्राधिकारी के अनुसार याचिकाकर्ता-ट्रस्ट महाराष्ट्र राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक संस्थान होने का दावा नहीं कर सकता है। याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील का तर्क कि क्योंकि प्रमाण पत्र दिनांक 11.6.2008 (11.7.2008) को प्रदान किया गया था, इसलिए इसे विवादित आदेश द्वारा वापस नहीं लिया जा सकता था।''

तर्क आधारहीन है क्योंकि इस मामले में सरकार द्वारा प्रमाण पत्र एक गलती के तहत जारी किया गया था। इसलिए, हमारी राय में, राज्य सरकार को उस गलती को सुधारने का अधिकार था। यहां यह भी विचारणीय है कि याचिकाकर्ता ने स्वयं वह प्रमाण पत्र वापस कर दिया जो याचिकाकर्ता को दिया गया था।

मामले पर समग्र रूप से विचार करते हुए, जैसा कि यह स्वीकृत स्थिति है कि याचिकाकर्ता के ट्रस्टी महाराष्ट्र राज्य में निवास नहीं करते हैं जहां हिंदी भाषी लोग भाषाई

अल्पसंख्यक हैं, याचिकाकर्ता ट्रस्ट अल्पसंख्यक संस्थान होने का दावा नहीं कर सकता है। इसलिए याचिका खारिज की जाती है''

7. विशेष अनुमति द्वारा हस्तगत अपील दायर करके, अपीलार्थी-सोसाइटी ने डिवीजन बैंच द्वारा पारित उपरोक्त आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उत्तरदाताओं द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.10.2009 में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया गया है, जिसके जरिये अपीलकर्ता की भाषाई अल्पसंख्यक स्थिति वापस ले ली गई है, जिसे पूर्व में प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दिनांक 11.07.2008 के आदेश द्वारा मान्यता दी गई थी।

8. आक्षेपित आदेशों की आलोचना करते हुए, अपीलकर्ता-सोसाइटी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री रनजीत कुमार ने प्रथम तर्क यह प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय यह समझने में विफल रहा कि उत्तरदाताओं द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 26.10.2009 यांत्रिक प्रक्रिया के तहत मनमाने ढंग से पारित करते हुए मान्यता वापस ली है। विद्वान वरिष्ठ वकील के अनुसार, उत्तरदातागण द्वारा पारित मान्यता वापसी का आदेश पूरी तरह से असंवैधानिक एवं विधि विरूद्ध है, क्योंकि अपीलकर्ता महाराष्ट्र राज्य में हिंदी भाषा बोलने वाले नागरिकों द्वारा स्थापित एक संस्था है और इस तरह यह महाराष्ट्र राज्य में एक भाषाई अल्पसंख्यक संस्थान है। उनका यह भी तर्क था कि अपीलकर्ता महाराष्ट्र राज्य में एक भाषाई अल्पसंख्यक है क्योंकि अधिकांश लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा

मराठी है; और महाराष्ट्र राज्य में अपीलकर्ता-संस्था द्वारा शैक्षणिक संस्थान की स्थापना और प्रशासन के लिए अपीलकर्ता-संस्था के ट्रस्टियों का निवास स्थान अप्रासंगिक और सारहीन है। विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि मान्यता वापसी का आदेश सरकारी संकल्प दिनांक 4.07.2008 के प्रावधानों के विपरीत होने से त्रुटिपूर्ण है जो अल्पसंख्यक दर्जा और मान्यता प्रदान करने की प्रक्रिया निर्धारित करता है। उनका यह भी तर्क है कि संकल्प में कहीं भी यह निर्धारित नहीं किया गया है कि भाषाई अल्पसंख्यक दर्जे का दावा करने वाले किसी भी संस्थान या ट्रस्ट में ऐसे ट्रस्टी होने चाहिए जो उक्त राज्य के निवासी हों, हालांकि, विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि किसी शैक्षणिक संस्थान को अल्पसंख्यक दर्जा देने की पूर्व शर्त केवल यह होनी चाहिए कि संस्थान उन व्यक्तियों का हो जिनकी मातृभाषा मराठी के अलावा कोई अन्य भारतीय भाषा हो; और साथ ही, सोसाइटी/ संस्था की प्रबन्ध समिति के न्यूनतम 2/3 ट्रस्टी संबंधित अल्पसंख्यक समुदाय से होने चाहिए। विद्वान वकील के अनुसार, अपीलकर्ता-संस्था ने सरकारी संकल्प दिनांक 4.7.2008 में निर्दिष्ट सभी शर्तों को पूरा किया और इस प्रकार अपीलकर्ता भाषाई अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता प्रदान करने के लिए पात्र और योग्य है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस न्यायालय के निर्णयों डी.ए.वी. कॉलेज आदि बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य (1971)2 एस.सी.सी. 269, टी.एम.ए. पाई फाउंडेशन और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य (2002) 8 एस.सी.सी. 481 और कन्या जूनियर हाई स्कूल, बाल विद्या मंदिर, एटा, उ.प्र. बनाम यू.पी. बैसिक

शिक्षा परिषद, इलाहाबाद, उ.प्र. एवं अन्य, (2006) 11 एस.सी.सी. 92 पर विश्वास कायम किया।

9. अंततः, विद्वान वकील का तर्क है कि संस्था चलाने का उद्देश्य महत्वपूर्ण है, न कि संस्था चलाने वाले व्यक्ति। संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों की संस्कृति और भाषा को संरक्षित करने के लिए अल्पसंख्यक/भाषाई संस्थान की स्थापना और प्रशासन करने के अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा करता है।

10. जैसा कि जवाबी हलफनामें में कहा गया है, उत्तरदाताओं का रूख यह है कि अपीलकर्ता-ट्रस्ट महाराष्ट्र राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक दर्जा देने के लिए आवश्यक मानदण्डों को पूरा नहीं करता है। उत्तरदाताओं का मामला यह है कि अपीलकर्ता की संस्था महाराष्ट्र राज्य में महाराष्ट्र राज्य के बाहर रहने वाले और हिंदी भाषा बोलने वाले नागरिकों द्वारा स्थापित की गई थी और इस तरह वे महाराष्ट्र राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक नहीं हैं। उत्तरदाताओं का मामला यह है कि संविधान द्वारा गारंटीकृत अल्पसंख्यक समुदाय होने के आधार पर सुरक्षा का दावा करने के लिए, स्पष्ट आवश्यकता यह होनी चाहिए कि व्यक्ति अल्पसंख्यक होना चाहिए। यह कहा गया है कि महाराष्ट्र राज्य के बाहर पंजीकृत ट्रस्टों द्वारा राज्य में शैक्षणिक संस्थान चलाने पर कोई रोक या प्रतिबन्ध नहीं है, लेकिन इन संस्थानों को अल्पसंख्यक नहीं माना जाता है और वे निश्चित रूप से राज्य के नियमों और विनियमों के अधीन होंगे, जो कि गैर-अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू होते है।

11. अंततः, उत्तरदाताओं द्वारा यह कहा गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत संवैधानिक संरक्षण केवल उन लोगों के लिए उपलब्ध है जो वास्तव में और भौतिक रूप से राज्य में अल्पसंख्यक हैं। अपीलकर्ता महाराष्ट्र राज्य में महाराष्ट्र राज्य के बाहर रहने वाले और हिंदी भाषा बोलने वाले नागरिकों द्वारा स्थापित एक संस्था है और इस प्रकार वे महाराष्ट्र राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक नहीं हैं। इसलिए, उत्तरदाताओं द्वारा अपीलकर्ता-संस्था को पहले दी गई प्रास्थिति को सही ढंग से वापिस ले लिया गया है, विशेष रूप से जब अपीलकर्ता नई दिल्ली में पंजीकृत ट्रस्ट के नाम पर ऐसी मान्यता चाहता था, जिसमें दिल्ली में रहने वाले ट्रस्टी शामिल थे।

12. जैसा कि ऊपर देखा गया है, श्री रंजीत कुमार ने अपने तर्कों के समर्थन में टी.एम.ए. पाई फाउंडेशन केस (सुप्रा) पर बल दिया है। इस मामले में इस न्यायालय की 11 न्यायाधीशगण की बेंच ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 से जुडे कई मुद्दों का निपटारा किया है। न्यायालय द्वारा विनिश्चित किया कि अनुच्छेद 30(1) यह स्पष्ट करता है कि जहां तक उस अनुच्छेद का संबंध है, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को बराबर रखा गया है। अतः कोई भी इकाई हो-चाहे एक राज्य हो या सम्पूर्ण भारत-भाषाई अल्पसंख्यक का निर्धारण धार्मिक अल्पसंख्यक के निर्धारण के समान होगा। भारत विभिन्न भाषाई राज्यों में विभाजित है। राज्यों का विभाजन उस क्षेत्र के अधिकांश व्यक्तियों की भाषा के आधार पर किया

गया है। उदाहरण के लिए, आंध्र प्रदेश की स्थापना उस क्षेत्र की भाषा तेलगू के आधार पर की गई थी। इसलिए, ''भाषाई अल्पसंख्यक'' तार्किक रूप से केवल एक विशेष राज्य के संबंध में ही हो सकता है, यदि अनुच्छेद 30 के प्रयोजन के लिए, ''भाषाई अल्पसंख्यक'' का निर्धारण पूरे भारत के संबंध में करना है, तब आंध्रप्रदेश राज्य में, तेलुगु भाषी लोगों को ''भाषाई अल्पसंख्यक'' माना जाएगा। यह स्पष्ट रूप से भाषाई राज्यों की अवधारणा के विपरीत होगा। माननीय न्यायाधिपति के अनुसार अनुच्छेद 30 किसी राज्य के भाषाई या धार्मिक अल्पसंख्यक को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार देता है। यह देखा गया कि सूची ।।। में प्रविष्टि 25 को सम्मिलित करने के परिणामस्वरूप, संसद अब शिक्षा के संबंध में कानून बना सकती है, जो पहले केवल राज्य का विषय था। संसद का अधिकार क्षेत्र सम्पूर्ण भारत या उसके कुछ भाग के लिए कानून बनाना है। यह सर्वविदित है कि भौगोलिक वर्गीकरण अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं है। इसलिए, यह संभव होगा कि, किसी विशेष राज्य या राज्यों के समूह के संबंध में, संसद शिक्षा के संबंध में कानून बना सकती है। हालांकि, अनुच्छेद 30 किसी राज्य के भाषाई या धार्मिक अल्पसंख्यक को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और प्रशासित करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 30 के प्रयोजन के लिए कानून बनाने वाली संस्थानुसार अल्पसंख्यक का अलग-अलग अर्थ नहीं हो सकता है। भाषा विभिन्न राज्यों की स्थापना का आधार है, अनुच्छेद 30 के प्रयोजन के लिए उस राज्य के संबंध में एक ''भाषाई अल्पसंख्यक''

निर्धारित करना होगा, जिसमें शैक्षिक संस्थान की स्थापना की जानी है। धार्मिक अल्पसंख्यक के संबंध में भी स्थिति समान है, क्योंकि अनुच्छेद 30 में धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों दोनों को बराबर रखा गया है।

13. वर्तमान अपील में, एकमात्र प्रश्न जो विचार के लिए उठता है वह यह है कि क्या एक राज्य में भाषाई गैर-अल्पसंख्यक सदस्य दूसरे राज्य में ट्रस्ट या सोसाइटी स्थापित कर सकता है और उस राज्य में अल्पसंख्यक दर्जे का दावा कर सकता है। टी.एम.ए. पाई फाउंडेशन मामले में 11 प्रष्न निर्धारण के लिए तैयार किये गये थे, उन प्रश्नों में से एक, प्रश्न संख्या 7, मौजूदा मामले के समान ही था, अर्थात, क्या एक राज्य में भाषाई गैर अल्पसंख्यक सदस्य दूसरे राज्य में एक ट्रस्ट या सोसाइटी स्थापित कर सकता है और उस राज्य में अल्पसंख्यक प्रास्थिति का दावा कर सकता है। माननीय न्यायालय द्वारा विनिश्चित किया कि इस प्रश्न का उत्तर उस पीठ द्वारा दिये जाने की आवश्यकता नहीं है और इसे एक नियमित पीठ द्वारा निपटाया जाएगा।

14. पी.ए. इनामदार और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य (2005) 6 एससीसी 537 के मामले में इस न्यायालय की 7-न्यायाधीशों की पीठ ने टी.एम.ए. पाई फाउण्डेशन मामले पर विस्तृत चर्चा की एवं मुद्दों को पुनः स्पष्ट कर दिया है। बेहतर मूल्यांकन के लिए, कुछ प्रासंगिक पैराग्राफ यहां उद्धत किये गये हैः

"91. एक शैक्षणिक संस्थान लाभ, व्यवसाय अथवा पूर्व प्रयोजन स्थापित करने का अधिकार, अनुच्छेद 19(1)(जी) द्वारा संरक्षित है। इस तथ्य के बावजूद कि एक अल्पसंख्यक का एक शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और प्रशासन करने का अधिकार होगा, अनुच्छेद 19(1)(जी) द्वारा सरंक्षित किया जाना चाहिए, फिर भी संविधान के संस्थापकों को अनुच्छेद 30 को अधिनियमित करने की आवश्यकता महसूस हुई। कारण इतने स्पष्ट है कि विस्तार की आवश्यकता नहीं है। अनुच्छेद 30(1) का उद्देश्य अल्पसंख्यकों में या अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान की स्थापना और प्रशासन करने के उनके अधिकार पर विधायी अथवा प्रशासनिक अतिक्रमण नहीं होने बाबत विश्वास कायम करना है। अनुच्छेद 30(1) को हालांकि एक अधिकार के रूप में देखा जाता है, यह अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षा की प्रकृति का है। लेकिन अनुच्छेद 30 के लिए, एक शैक्षणिक संस्थान, भले ही धर्म या भाषा पर आधारित हो, अनुच्छेद 19 के खंड (6) के तहत अधिनियमित कानून द्वारा नियंत्रित या विनियमित की जा सकती थी, और इसलिए, अनुच्छेद 30 को अल्पसंख्यकों को गारंटी के रूप में अधिनियमित किया गया था। जहां तक धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों का संबंध है, उनकी पसंद के शैक्षणिक संस्थान को ऐसे कानून से सुरक्षा

मिलेगी। यद्यपि, ऐसे संस्थानों के साथ केवल उनके अल्पसंख्यक संस्थान होने के कारण राज्य द्वारा भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अल्पसंख्यकों की संख्या गैर अल्पसंख्यकों से कम होने के कारण वे अल्पसंख्यक होते हैं, इस कारण वह अपने धर्म या भाषा और ऐसे सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। इस कारण उनके शैक्षणिक संस्थानों को कानून बनाने के चरण में अनुच्छेद 30 के तहत संरक्षित किया जायेगा। यद्यपि, केवल इसलिए कि अनुच्छेद 30(1) अधिनियमित हो गया है, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान नियामक उपायों के संचालन से प्रतिरक्षित नहीं हो जाते, क्योंकि प्रशासन के अधिकार में कुप्रशासन का अधिकार शामिल नहीं है। राज्य का विनियमन किस हद तक जा सकता है, यह विवाद्यक है। अनुच्छेद 30 का वास्तविक उद्देश्य अल्पसंख्यकों को कुछ अतिरिक्त सुरक्षा देना है। एक बार सहायता मिलने पर, अनुच्छेद 30(1) के संरक्षण द्वारा अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान को प्रदत्त स्वायत्तता क्षीण हो जायेगी, क्योंकि अनुच्छेद 29(2) के प्रावधान आकर्षित होंगे। विनियमों के रूप में कुछ शर्तें वैध रूप से राज्य सहायता के साथ हो सकती है।''

"95. "अल्पसंख्यक" शब्द को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। मुख्य न्यायाधीश किरपाल, ने पाई फाउंडेशन में बहुमत के लिए बोलते हुए राज्य पुनर्गठन अधिनियम के प्रावधानों से एक सूत्र लिया और कहा कि भारत जो विभिन्न भाषाई राज्यों में विभाजित है, राज्य उस क्षेत्र के बहुसंख्यक व्यक्तियों की भाषा के आधार पर बनाए गए है, अनुच्छेद 30 के अनुसार भाषाई अल्पसंख्यक के निर्धारण के लिए इकाई के रूप में राज्य, न कि सम्पूर्ण भारत को लिया जाना चाहिए। चूकि अनुच्छेद 30(1) धर्मों और भाषाओं को समान मानता है, उनका मानना था कि अल्पसंख्यक दर्जा, चाहे भाषा के संदर्भ में हो या धर्म के संदर्भ में, राज्य को एक इकाई मानकर निर्धारित किया जाना चाहिए। सिद्धांत चाहे वह केन्द्रीय कानून हो या भाषाई या धार्मिक अल्पसंख्यक से संबंधित राज्य का कानून, एक समान रहेगा। खरे, न्यायाधिपति (तत्कालीन) , कादरी, न्यायाधिपति एवं वरियावा और भान, न्यायाधिपतिगण ने अपनी अलग-अलग सहमत मत के साथ किरपाल, सी.जे. से सहमत थे। खरे, न्यायाधिपति के अनुसार, किसी भी राज्य की जनसंख्या को एक ईकाई के रूप में लें, उसकी जनसांख्यिकी का पता लगाये और गणना करें कि यदि किसी विशेष भाषा को बोलने वाले या किसी विशेष धर्म को

मानने वाले व्यक्ति जनसंख्या के 50% से कम है, तो उन्हें भाषाई या धार्मिक अल्पसंख्यक का दर्जा दें।ऐसी प्रास्थिति निर्धारित करने के उद्देश्य से पूरे देश की जनसंख्या अप्रासंगिक है। कादरी, न्यायाधिपति ने कहा कि ''अल्पसंख्यक'' शब्द का शाब्दिक अर्थ ''एक गैर-प्रभावी समूह है। रूमा पाल, न्यायाधिपति ने ''अल्पसंख्यक'' शब्द को ''संख्यात्मक रूप से कम'' के रूप में परिभाषित किया। हालांकि, उन्होंने अल्पसंख्यक दर्जा निर्धारित करने के उद्देश्य से राज्य को ईकाई के रूप में लेने से इंकार कर दिया, क्योंकि उनकी राय में, अल्पसंख्यक दर्जे का प्रश्न पूरे देश के संदर्भ में निर्धारित किया जाना चाहिए। उन्होंने इसके लिए कारण बताये। यह कहना अनावश्यक है कि उनकी राय एक अकेली आवाज है। यद्यपि पाई फाउंडेशन में प्रतिपादित सिद्धान्त के आधार पर इस बात पर संदेह नहीं किया जा सकता है कि अल्पसंख्यक, चाहे वह भाषाई हो या धार्मिक, केवल राज्य की जनसांख्यिकी के संदर्भ में निर्धारित किया जा सकता है, न कि पूरे देश की जनसंख्या को ध्यान में रखकर।

96. अल्पसंख्यक की ऐसी परिभाषा एक मुद्दे का समाधान करती है लेकिन जब ''अल्पसंख्यक शैक्षणिक

संस्थान'' को परिभाषित करने की बात आती है तो कई प्रश्न खडे हो जाते हैं। क्या एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान, भले ही किसी अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित किया गया हो, केवल उस अल्पसंख्यक की जरूरतों को पूरा कर सकता है? क्या उस व्यक्ति या व्यक्तियों की पहचान करने के लिए कोई जांच हो सकती है जिन्होंने वास्तव में संस्था की स्थापना की है? क्या कोई अल्पसंख्यक संस्थान सीमा पार या अन्तर्-राज्य शैक्षणिक सुविधाऐं प्रदान कर सकता है और फिर भी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान का चरित्र बरकरार रख सकता है?

15. न्यायालय ने केरल शैक्षिक विधेयक, 1957 का मामला 1959 एससीआर 995 में इस न्यायालय के निर्णय को संदर्भित करते हुए कहा:

''97. केरल शिक्षा विधेयक के मामले में अनुच्छेद 30(1) द्वारा प्रदत्त अधिकार का विस्तार एवं परिसीमाऐं दायरा विचारणार्थ आया। अनुच्छेद 30(1) में यह आवश्यक नहीं है कि धर्म के आधार पर अल्पसंख्यकों को केवल धर्म सिखाने के लिए शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने चाहिए या भाषाई अल्पसंख्यकों को केवल अपनी भाषा सिखाने के लिए शैक्षणिक संस्थान स्थापित करना चाहिए। अनुच्छेद 30(1) का अंतर्निहित उद्देश्य अल्पसंख्यकों की इच्छा को

पूरा करना है कि उनके बच्चों का पालन-पोषण उचित और कुशलता से हो और वे उच्च विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए पात्रता प्राप्त करें और दुनिया में बाहर जाएं। दुनिया पूरी तरह से ऐसी बौद्धिक उपलब्धियों से सुसज्जित है जो उन्हें सार्वजनिक सेवाओं, सामान्य धर्मनिरपेक्ष शिक्षा सहित उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए उपयुक्त बनायेगी। इस प्रकार, अल्पसंख्यकों के हित में अनुच्छेद 30(1) द्वारा प्रदान किये जाने वाले जुडवां उद्देश्य हैंः (i) ऐसे अल्पसंख्यक को अपने धर्म और भाषा को संरक्षित करने के योग्य बनाना, और (ii) ऐसे अल्पसंख्यक के बच्चों को संपूर्ण, अच्छी, सामान्य शिक्षा देना। जब तक संस्था उपरोक्त दो उद्देश्यों को प्राप्त करके और उन्हें प्राप्त करते हुए अपने अल्पसंख्यक चरित्र को बरकरार रखती है, तब तक संस्था अल्पसंख्यक संस्था बनी रहेगी।

98. केरल शिक्षा विधेयक में विद्वान न्यायाधीशों के सामने अनुच्छेद 29(2) द्वारा प्रक्षेपित मुद्दा रखा गया था। यदि संस्था को राज्य निधि से सहायता प्राप्त हो रही हो तो क्या होगा? प्रत्यक्ष विवाद को न्यायाधीशों द्वारा एक सुन्दर अभिव्यक्ति का उपयोग करके हल किया गया था। उन्होंने कहा, अनुच्छेद 29(2) और 30(1), सम्मिलित रूप से पढ़े

जाने पर स्पष्ट है कि अल्पसंख्यक संस्थान एक ऐसी परिकल्पना है, जिसमें ''बाहरी लोगो का छिडकाव'' होता है। किसी गैर-अल्पसंख्यक सदस्य को अल्पसंख्यक संस्थान में प्रवेश देने से, यह संस्थान अपना चरित्र नहीं खो देता है और न ही अल्पसंख्यक संस्थान की प्रास्थिति। विद्वान न्यायाधीशों ने कहा कि इस तरह के ''छिडकाव'' से अल्पसंख्यक समुदाय की विशिष्ट भाषा, लिपि और संस्कृति का प्रचार गैर सामुदायिक सदस्यों के मध्य होगा, और यह वास्तव में अल्पसंख्यकों की भाषा, धर्म और संस्कृति के सरंक्षण के उद्देश्य को बेहतर ढंग से पूरा करेगा।''

पैरा 101 और 102 भी यहां उद्धत करने योग्य हैं, जो इस प्रकार है:

''इस पृष्ठभूमि में अनुच्छेद 30(1) के सीमा पार संचालन का जटिल प्रश्न उठता है। पाई फाउंडेशन ने स्पष्ट रूप से राज्य (या एक प्रांत) के पक्ष में फैसला सुनाया है, अल्पसंख्यक के निर्धारण के उद्देश्य से राज्य को इकाई माना गया। कानून की इस घोषणा से, कुछ निश्चित परिणाम सामने आते हैं। प्रथमतः भारत में प्रत्येक समुदाय अल्पसंख्यक हो जाता है, क्योंकि देश के किसी न किसी राज्य में वह भाषाई या धार्मिक अल्पसंख्यक होगा। क्या

होगा यदि किसी विशेष राज्य से संबंधित कोई अल्पसंख्यक उस राज्य में एक शैक्षणिक संस्थान स्थापित करता है और उसका प्रशासन पडोसी राज्य में रहने वाले उस अल्पसंख्यक से संबंधित सदस्यों के लाभ के लिए, जहां समुदाय बहुमत में है, करता है? क्या यह संविधान के साथ धोखा नहीं होगा? सेंट स्टीफंस, (1992)1 एससीसी 558 में, न्यायालय ने निर्णय किया कि अनुच्छेद 30(1) केवल धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के लाभ के लिए एक सुरक्षात्मक उपाय है और ''किसी भी अयोग्य या छद्म संस्था संवैधानिक संरक्षण का लाभ नहीं ले सकती।'' (एससीसी पृष्ठ 587 पैरा 28)। इस प्रश्न को हमें अधिक देर तक रोके रखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पाई फाउंडेशन में इसका उत्तर अनिश्चित शब्दों में नहीं दिया गया है। अनुच्छेद 30(1) के तहत संरक्षण के विशेषाधिकार का आनंद लेने के लिए इसके अल्पसंख्यक चरित्र को संरक्षित करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए, यह आवश्यक है कि संस्था की स्थापना का उद्देश्य विफल न हो।

''यदि ऐसा है, तो ऐसी संस्था अल्पसंख्यक समुदाय की परिसीमा में आने वाले अधिकांश छात्रों को प्रवेश देने के लिए बाध्य है। इसलिए, जिस राज्य में संस्थान स्थित है,

उस राज्य में रहने वाले उस समूह के छात्रों को बडे पैमाने पर प्रवेश देना आवश्यक है, क्योंकि जहां तक उस राज्य का संबंध है, वे भाषाई अल्पसंख्यक समूह का गठन करते हैं। दूसरे शब्दों में, जिस राज्य में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान स्थापित है, वहां के भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों की प्रधानता मौजूद होनी चाहिए। ऐसे संस्थान के प्रबन्धन निकाय अनुच्छेद 30 (1) के तहत दिये गये संरक्षण की आड में निकटवर्ती राज्य के भाषाई छात्रों को प्रवेश देने की व्यवस्था का सहारा नहीं ले सकते, जहां वे बहुमत में है। (एससीसी पृष्ठ 585, पैरा 153)

यही सिद्धांत धार्मिक अल्पसंख्यकों पर भी लागू होता है। यदि कोई अन्य दृष्टिकोण अपनाया जाए, तो अनुच्छेद 30 (1) और 29 (2) के सामंजस्यपूर्ण निर्वचन द्वारा प्रवेश का अधिमान्य अधिकार प्रदान करने का मूल उद्देश्य विकृत हो सकता है।

पाई फाउंडेशन में निर्धारित कानून से जाहिर होता है कि अल्पसंख्यक संस्थान स्थापित करने के लिए संस्थान को मुख्य रूप से उस राज्य के अल्पसंख्यकों की आवश्यकताओं को पूरा करना होगा अन्यथा उसका अल्पसंख्यक संस्थान का चरित्र खो जाता है। हालांकि, मुख्य

न्यायाधीश एस.आर. दास के शब्दों को उधार ले तो दास ने केरल शिक्षा विधेयक वाले मामले में गैर-अल्पसंख्यक छात्रों के समान स्तर पर दूसरे राज्य से उस अल्पसंख्यक के ''छिडकाव'' करने को अनुमत करना उसके अल्पसंख्यक संस्थान होने के उस राज्य को एक इकाई के रूप में मानते हुए प्राप्त आवश्यक चरित्र से वंचित नहीं करेगा।

16. विद्वान वकील श्री रंजीत कुमार ने तर्क दिया कि पी.ए. इनामदार वाले मामले में, 7-न्यायाधीशों की पीठ ने उनके समक्ष विचार के लिए उठे इस प्रश्न को यह देखते हुए अछूता छोड दिया कि उक्त प्रश्नों को नियमित पीठ द्वारा निपटाया गया है।

17. अपीलकर्ता-सोसाइटी की मुख्य शिकायत यह है कि राज्य अधिकारियों द्वारा मान्यता वापस लेने का विवादित आदेश गलत है और सरकारी संकल्प दिनांक 4.7.2008 के प्रावधानों के विपरीत है, जो अल्पसंख्यक दर्जा देने की प्रक्रिया निर्धारित करता है। अपीलकर्ता-सोसाइटी ने कथित संकल्प दिनांक 4.7.2008 में निर्दिष्ट सभी शर्तों को पूरा करने का आक्षेप लगाया और इस तरह खुद को भाषाई अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता देने के लिए पात्र और योग्य होना कथन किया। उपरोक्तानुसार महाराष्ट्र राज्य के अल्पसंख्यक विकास विभाग द्वारा जारी संकल्प दिनांक 4.7.2008 संस्थान के अल्पसंख्यक भाषाई चरित्र का प्रमाण पत्र देने के

लिए शर्तों और प्रक्रिया को निर्धारित करता है। संकल्प का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

"<u>प्रस्ताव</u> : अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित धार्मिक/भाषाई अल्पसंख्यक सोसाइटी संवर्ग के रूप में मान्यता देने की मौजूदा प्रक्रिया को आसान बनाने का मुद्दा कुछ समय से राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन था। तद्नुसार, इस क्षेत्र के विशेषज्ञों से परामर्श एवं ईच्छुक व्यक्तियों से विचार-विमर्श और केन्द्रीय प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या MS-2006/634/CR-63/2006/35, दिनांक 11.6.2007 को अधिक्रमित करते हुए समय समय पर इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों पर विचार करने के पश्चात महाराष्ट्र सरकार द्वारा धार्मिक/सोसाइटी जो कि राज्य द्वारा संचालित एवं प्रबंधित है, को मान्यता प्रदान करने के लिए नियम और शर्ते और प्रक्रिया निर्धारित की है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:-

(1) अल्पसंख्यक संवर्ग की मान्यता प्रदान करने हेतु सक्षम प्राधिकारीः राज्य के अल्पसंख्यकों द्वारा प्रबंधित शैक्षिक समितियों को धार्मिक भाषाई अल्पसंख्यक संवर्ग की मान्यता प्रदान करने के लिए, राज्य सरकार ने प्रमुख

सचिव/सचिव अल्पसंख्यक विकास विभाग, महाराष्ट्र सरकार की राजकीय अधिसूचना संख्या एमईएस-2008/सीआर- 149/08/ई-1 दिनांक 04.7.2008 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी घोषित किया है।

(2) धार्मिक भाषाई अल्पसंख्यक की मान्यता की पात्रता हेतु कसौटीः

(1) वे शैक्षणिक सोसाइटी जिन्हें विशिष्ट आदेश या पत्र के अनुसार यासामान्य प्रशासन विभाग, सरकारी संकल्प संख्या एमईएस-2006/634/सीआर-63/2006/35 दिनांक 11.6.2007 के अनुसार अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान/सोसाइटी के रूप में मान्यता प्रदान कीगई है; ऐसी शैक्षणिक सोसाइटी/संस्थाओं को अल्पसंख्यक संवर्ग की मान्यता के लिए दोबारा आवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, यहां पैरा-5 में निर्धारित शर्ते ऐसी सभी सोसाइटियों पर लागू होंगी।

(2) यह आवश्यक है कि आवेदक अल्पसंख्यक संस्था/सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 अथवा बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1950 या अन्य संबंधित कानून के तहत पंजीकृत होना चाहिए। संस्था की संबंधित

अल्पसंख्यक सोसाइटी को अपने नियमों के उपनियमों में यह उल्लेख करना चाहिए कि वह सोसाइटी किस धार्मिक/भाषाई अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित है, जिस अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा के लिए इसकी स्थापना की गई है।

(3) केन्द्र सरकार/महाराष्ट्र सरकार द्वारा अधिसूचित सभी धर्मो के संस्थान/सोसाइटी अपने शैक्षणिक संस्थान को धार्मिक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए आवेदन जमा करने के पात्र होंगे।

(4) ऐसे व्यक्तियों की शैक्षणिक संस्था जिनकी मातृभाषा मराठी के अलावा अन्य भारतीय भाषा है, वह अपने शैक्षणिक संस्था कोअल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था के रूप में मान्यता के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के पात्र होंगे।

(5) यह आवश्यक है कि आवेदक सोसाइटी/संस्था की प्रबंधन समिति के न्यूनतम 2/3 ट्रस्टी संबंधित अल्पसंख्यक समुदाय से हों।

(जोर दिया गया)

18. यहां ऊपर उद्धत संकल्प के प्रासंगिक प्रावधानों के अवलोकन से, यह स्पष्ट है कि शर्तों में से एक, अन्य बातों के साथ, यह है कि ऐसे

व्यक्तियों के शैक्षणिक संस्थान जिनकी मातृभाषा मराठी के अलावा अन्य भारतीय भाषा है, वे अपना आवेदन मान्यता हेतु प्रस्तुत करने के पात्र होंगे और सोसाइटी या संस्थान की प्रबंधन समिति के न्यूनतम 2/3 ट्रस्टी संबंधित अल्पसंख्यक समुदाय से होने चाहिए। दूसरे शब्दों में, संकल्प के अनुसार, सोसायटी की प्रबन्धन समिति के 2/3 ट्रस्टी अल्पसंख्यक समुदाय से होने चाहिए।

19. पेपरबुक में मौजूद दस्तावेजों का अवलोकन करने पर निम्नलिखित तथ्य सामने आयेः

(i) शहरी सचिव, उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग, महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी पत्राचार दिनांक 28.06.2006 द्वारा, निदेशक, उच्च शिक्षा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे को सूचित किया गया था कि दयानंद संस्थानों, सोलापुर द्वारा अल्पसंख्यक कैडर (हिंदी भाषाई) प्रदान करने के लिए प्रस्तुत अभ्यावेदन के आधार पर सरकार ने दयानंद इंस्टीट्यूशंस, सोलापुर द्वारा प्रबंधित उच्च कॉलेजों (डिग्री कॉलेजों) को दो शैक्षणिक वर्षों यानि 2006-07 और 2007-08 के लिए अल्पसंख्यक कैडर (हिंदी भाषाई) प्रदान किया है।

(ii) धार्मिक/भाषाई अल्पसंख्यक की मंजूरी प्राप्त करने के लिए अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 06.7.2007 को प्रस्तुत आवेदन में, हालांकि आवेदन पत्र के कॉलम नम्बर 1 में, सोसायटी का नाम

दयानंद एंग्लो वैदिक (डीएवी) कॉलेज ट्रस्ट एंड मैनेजमेन्ट सोसायटी, नई दिल्ली दर्ज है, लेकिन अन्य आवश्यक जानकारी इस प्रकार दी गई है:-

क्या सोसायटी का कारोबार देखने वाले कम से कम 2/3 व्यक्ति या ट्रस्टी/निदेशक मंडल के सदस्य अल्पसंख्यक/भाषाई समूह से हैं, यदि हॉ, तो उनकी संख्या क्या है?	सोसायटी के निदेशक मंडल के सभी ट्रस्टी/सदस्य, जो सोसायटी का व्यवसाय देख रहे हैं, आर्य समुदाय से है और उनकी मातृभाषा हिंदी है।

20. इसलिए, यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता ने आवश्यक जानकारी सही ढंग से प्रस्तुत नहीं की है, क्योंकि यह नहीं कहा गया था कि ट्रस्टी/निदेशक मंडल के सदस्य, जो सोसायटी के व्यवसाय की देखभाल कर रहे है, गैर-अल्पसंख्यक हैं। जाहिर है, इसका कारण यह है कि जो व्यक्ति या ट्रस्टी, सोसायटी के व्यवसाय का प्रबन्धक कर रहे हैं, वे गैर-अल्पसंख्यक है यानी नई दिल्ली में रहते हैं, न कि महाराष्ट्र राज्य में।

21. मान्यता प्रमाण पत्र अपीलकर्ता की संस्था यानी एजुकेशनल ट्रस्ट एंड मैनेजमेंट सोसायटी, सोलापुर के नाम पर 2004-2008 तक वर्ष के लिए प्रदान किया गया था। बेहतर निर्वचन के लिए, शैक्षणिक वर्ष 2008-

09 के लिए 11.7.2008 को प्रदान किया गया अंतिम प्रमाण पत्र यहां नीचे दिया गया हैः-

"महाराष्ट्र सरकार

सक्षम प्राधिकारी एवं प्रमुख सचिव अल्पसंख्यक

विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-400032

संख्या एमईएस-2007/264/सीआर-145/2007/35/डी-1

दिनांक 11.7.2008

अल्पसंख्यक संवर्ग की मान्यता हेतु प्रमाण पत्र

एजुकेशनल ट्रस्ट एंड मैनेजमेंट सोसाइटी, सोलापुर ने भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के रूप में प्रस्तुत किया। अपनी सोसाइटी के पुर्नगठन की मान्यता हेतु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए 09.7.2007 को आवेदन प्रस्तुत किया था। दिनांक 11.7.2008 को मेरे समक्ष उक्त संस्थान की सुनवाई के दौरान, संस्थान के अधिकारियों द्वारा की गई दलीलों के आधार पर, मैं संतुष्ट हूँ कि, उक्त संस्थान की स्थापना और संचालन राज्य सरकार द्वारा घोषित हिन्दी भाषा अल्पसंख्यक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह के माध्यम से किया जा रहा है, जो कि अल्पसंख्यक विकास

विभाग, सरकारी संकल्प संख्या एमईएस-2008/सीआर 133/2008/डी-1 दिनांक 4.7.2008 के तहत निर्धारित कसौटी के अनुरूप है। परिणामस्वरूप यह घोषित किया जा रहा है कि उक्त संस्थान भाषाई (हिंदी) अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान है।

यह प्रमाण पत्र केवल महाराष्ट्र राज्य के लिए मान्य होगा। उक्त सोसायटी को प्रदान किया गया भाषाई अल्पसंख्यक कैडर संस्थान द्वारा संचालित सभी शैक्षिक शाखाओं पर लागू होगा।

शैक्षणिक संस्थान को प्रदान किया गया भाषाई अल्पसंख्यक कैडर शैक्षणिक वर्ष 2008-2009 से कानूनी रूप से मान्य होगा। सरकारी संकल्प संख्या एमईएस-2008/सीआर-133/2008/ डी-1 दिनांक 4.7.2008 के अनुसार निर्धारित मानदंडों और शर्तों का लगातार और विशेष रूप से अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।

एसडी/-

(TF.Thekkekara)

सक्षम प्राधिकारी प्रमुख सचिव

अल्पसंख्यक विकास विभाग मंत्रालय,

मुंबई-400032"

22. यह पहली बार था कि अपीलकर्ता ने सक्षम प्राधिकारी, अल्पसंख्यक विकास विभाग, मुंबई को संबोधित पत्र/अभ्यावेदन दिनांक 15.7.2008 द्वारा कहा कि भाषाई अल्पसंख्यक के लिए मान्यता प्रमाण पत्र दयानंद एंग्लो वैदिक (डीएवी) कॉलेज ट्रस्ट एंड मैनेजमेन्ट सोसायटी, सोलापुर के नाम से जारी किया गया है। इसलिए, उक्त अभयावेदन में अनुरोध किया गया था कि चूंकि अपीलकर्ता-सोसायटी नई दिल्ली में स्थित है, इसलिए मान्यता प्रमाण पत्र सोलापुर के बजाय दयानंद एंग्लो वैदिक (डीएवी) कॉलेज ट्रस्ट एंड मैनेजमेन्ट सोसायटी, नई दिल्ली के के नाम पर जारी किया जा सकता है। उक्त अभयावेदन को उत्तरदाताओं द्वारा मुख्य रूप से इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि, केवल वे हिन्दी भाषी व्यक्ति जो महाराष्ट्र में रह रहे हैं, उन्हें महाराष्ट्र में अल्पसंख्यक माना जाएगा। स्वीकृत रूप से, मौजूदा मामले में, अपीलकर्ता-ट्रस्ट/सोसाइटी नई दिल्ली में पंजीकृत है और अधिकांश ट्रस्टी नई दिल्ली में रहते हैं और इसलिए, इन व्यक्तियों को महाराष्ट्र राज्य में अल्पसंख्यक नहीं माना जा सकता है और वे महाराष्ट्र राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक के रूप में संरक्षण प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उपरोक्त आदेश को रिट याचिका में चुनौती दी गई, जिसके परिणामस्वरूप अंततः उत्तरदातागण को सुनवाई का अवसर देने के बाद एक नया आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया।

23. उक्त निर्देश के अनुपालन में, प्रतिवादी ने दिनांक 26.10.2009 को आक्षेपित आदेश पारित किया। प्राधिकारी ने अल्पसंख्यक दर्जा देने के आवेदन को अस्वीकार करते समय निम्नलिखित कारण दर्ज किये:

ए) कागजात की जांच करने पर, यह देखा गया कि हालांकि कवरिंग एप्लिकेशन में संस्थान का नाम दयानंद इंस्टीट्यूशंस सोलापुर बताया गया था, ट्रस्ट डीड दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज ट्रस्ट एंड मैनेजमेंट सोसायटी के नाम पर पंजीकृत था और बहुमत ट्रस्टी नई दिल्ली में रहते थे।

बी) चैरिटी कमिश्नर मुंबई द्वारा जारी श्दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज ट्रस्ट एंड मैनेजमेंट सोसायटी के नाम पर दयानंद इंस्टीट्यूशंस सोलापुर द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाण पत्र और श्दयानंद इंस्टीट्यूशंस सोलापुर स्टाईल वाले लेटरहेड पर उनके आवेदन दिनांक 6.7.07 ने सक्षम प्राधिकारी को यह मानने को बाध्य किया कि ट्रस्टी महाराष्ट्र में रहते थे, जबकि वास्तव में वे महाराष्ट्र के निवासी नहीं थे। इन दस्तावेजों के आधार पर ही 11 जुलाई, 2008 को अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में मान्यताका प्रमाण पत्र जारी किया गया था। तथाकथित दयानंद इंस्टीट्यूशंस सोलापुर ने अपने पत्र दिनांक 15.07.08 द्वारा दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज ट्रस्ट एंड मैनेजमेंट सोसायटी, नई दिल्ली को भाषाई

अल्पसंख्यक दर्जे की मान्यता प्रदान किये जाने बाबत आवेदन किया था, जो कि उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अस्वीकार कर दिया गया।

सी) संगठन द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से यह जाहिर हुआ कि यद्यपि ट्रस्ट ने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज ट्रस्ट एंड मैनेजमेंट सोसायटी नाम और शैली में पंजीकरण का विलेख प्रस्तुत किया था, जो चैरिटी कमिश्नर, मुंबई द्वारा ग्रेटर मुंबई में पंजीकृत था। संगठन लाहौर में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज ट्रस्ट एंड मैनेजमेंट सोसायटी नाम और शैली के तहत लाहौर में दिनांक 30.06.1948 को पंजीकृत किया गया था। चैरिटी कमिश्नर मुंबई द्वारा दिनांक 7.3.08 को जारी ट्रस्टियों की सूची बाबत अनुसूची 1 की प्रति से पता चलता है कि दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज ट्रस्ट एंड मैनेजमेंट सोसायटी के 34 ट्रस्टियों की सूची चैरिटी कमिश्नर ग्रेटर, मुम्बई के पास दर्ज है, जिनमें से 25 ट्रस्टी नई दिल्ली में, 4 हरियाणा में, 4 पंजाब में और एक रांची में रहते है। आवेदक ट्रस्ट द्वारा इस बात से इंकार नहीं किया गया है कि दोनों ट्रस्टों के मामले में से एक वर्ष 2003 में मुंबई पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1950 के अधीन और दूसरा ट्रस्ट सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत लाहौर में 30.6.1948 को पंजीकृत है, ये अधिकांश ट्रस्टी नई दिल्ली में रहते हैं और उनमें से अधिकांश महाराष्ट्र के बाहर रहते हैं।

डी) दयानंद इंस्टीट्यूशंस सोलापुर के नाम पर कोई अलग ट्रस्ट या सोसायटी पंजीकृत नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह इकाई केवल उस लेटरहेड पर मौजूद है जिसके द्वारा 6 जुलाई, 2007 को अल्पसंख्यक दर्जे की मांग करने वाला एक आवेदन सरकार को प्रस्तुत किया गया था।

ई) दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज ट्रस्ट एंड मैनेजमेंट सोसायटी के प्रतिनिधि ने यह भी कहा कि दयानंद इंस्टीट्यूशंस सोलापुर महाराष्ट्र में गरीब छात्रों के लिए शिक्षा में उत्कृष्टता के उद्देश्य से एक शैक्षणिक संस्थान की सर्वोत्तम परंपराओं में काम कर रहा था। उन्होंने यह भी कहा कि वे संस्थान को एक उत्कृष्ट संस्थान बनाने के लिए उत्कृष्ट शैक्षणिक योग्यता वाले शिक्षकों की भर्ती नहीं कर सके, क्योंकि एसटी और अन्य आरक्षण की आवश्यकता से उन्हें परेशानी हो रही थी। एसटी पृष्ठभूमि वाले कोई योग्य उत्कृष्ट शिक्षक उपलब्ध नहीं थे। इसलिए वे अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त करके शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण की इस आवश्यकता से बचना चाहते थे।

एफ) ट्रस्ट के अन्य तर्कों के संबंध में, यह स्पष्ट है कि अल्पसंख्यक दर्जे के लिए यह आवेदन आर्य समाज के सदस्यों की दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज ट्रस्ट एंड मैनेजमेंट सोसायटीश् द्वारा केवल स्कूल में शिक्षकों और कर्मचारियों की भर्ती करते समय

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछडे समुदायों के पक्ष में आरक्षण के क्रियान्वयन से बचने के लिए किया था। यह एससी और एसटी के कल्याण और विकास के संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

24. उपरोक्तानुसार, उत्तरदाताओं के दिनांक 26.10.2009 के उक्त आदेश को बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिक संख्या 1053 वर्ष 2010 में चुनौती दी गई थी उक्त रिट याचिका को खारिज करते हुए, उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि यद्यपि अपीलकर्ता ने भाषाई अल्पसंख्यक स्थिति का दावा किया था, लेकिन अपीलकर्ता-सोसाइटी के सभी ट्रस्टी उस क्षेत्र के निवासी हैं, जहां बहुसंख्यकों की भाषा हिंदी है। उच्च न्यायालय का यह मत था कि यदि अल्पसंख्यक भाषाई दर्जा देने वाला कोई प्रमाण पत्र कानून के विपरीत दिया जाता है, तो राज्य सरकार को गलती सुधारने का अधिकार है। उच्च न्यायालय का यह भी विचार था कि चूंकि अपीलकर्ता के ट्रस्टी स्वीकृत रूप से महाराष्ट्र राज्य में नहीं रहते हैं, जहां हिंदी भाषी लोग भाषाई अल्पसंख्यक हैं, अपीलकर्ता-ट्रस्ट/सोसाइटी अल्पसंख्यक संस्थान होने का दावा नहीं कर सकता है।

25. हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण उचित है। संविधान के अनुच्छेद 30 द्वारा अल्पसंख्यकों को प्रदत्त अधिकार दो भागों में है। पहला भाग अल्पसंख्यकों की पसंद की संस्था स्थापित करने का अधिकार है और दूसरा भाग ऐसी संस्था के

प्रशासन के अधिकार से संबंधित है। यहां स्थापना शब्द का अर्थ एक संस्था को अस्तित्व में लाना है और यह अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा होना चाहिए। प्रशासन का अर्थ है संस्था के मामलों का प्रबन्धन। केरल राज्य आदि बनाम मदर प्रोविशियल आदि एआईआर 1970 एससी 2079 में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का संदर्भ लिया जा सकता है।

26. इसी प्रकार, एस.पी.मित्तल आदि बनाम भारत संघ और अन्य, एआईआर 1983 एससी 1 के मामले में, इस न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 30 के लाभ का दावा करने के लिए, समुदाय को सबसे पहले यह दिखाना और साबित करना होगा कि यह एक धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक है और दूसरा यह कि इस संस्था की स्थापना ऐसे भाषाई अल्पसंख्यकों द्वारा की गई है।

27. ए.पी. क्रिश्चियन मेडिकल एजुकेशनल सोसाइटी बनाम आंध्र प्रदेश सरकार और अन्य एआईआर 1986 एससी 1490 (पैरा 8) के मामले में, इस न्यायालय ने अनुच्छेद 30 के तहत गारंटीकृत अधिकारों पर विस्तार से चर्चा की और निम्नानुसार निर्धारित कियाः-

> "हमारे सामने यह गंभीरता से तर्क दिया गया था कि कोई भी अल्पसंख्यक, यहां तक की अल्पसंख्यक से संबंधित एक भी व्यक्ति, एक अल्पसंख्यक संस्थान स्थापित कर सकता है और उसे संविधान के तहत ऐसा करने का

अधिकार है एवं न तो सरकार और न ही विश्वविद्यालय सोसाइटी एक अल्पसंख्यक संस्थान स्थापित करने के अधिकार से इंकार कर सकता है। यद्यपि वे शिक्षा की एकरूपता, दक्षता और उत्कृष्टता के हित में नियामक उपाय लागू कर सकते हैं। जहां तक हस्तगत मामले का संबंध है, इस तर्क की भ्रांति इस सोच में निहित है कि न तो सरकार न ही विश्वविद्यालय को इस दावे के पीछे जाने का अधिकार है कि संस्थान एक अल्पसंख्यक संस्थान है और उन्हें यह जांच करने और खुद को सन्तुष्ट करने का अधिकार है कि दावा सही है या गलत। सरकार, विश्वविद्यालय और अंततः अदालत को निसन्देह अधिकार है कि वह अल्पसंख्यक पर्दा को हटाकर और पता लगाये कि क्या इसके पीछे कोई छिपाव है, कोई अल्पसंख्यक या कोई अल्पसंख्यक संस्थान तो नहीं छिपा है। अनुच्छेद 30(1) का उद्देष्य ढोंगियों द्वारा बोगियों को उत्पन्न करने की अनुमति देने के लिए नहीं है, बल्कि अल्पसंख्यकों को सुरक्षा की भावना और आत्मविश्वास की भावना देने के लिए है, न केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को धर्म को मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने के अधिकार की गारंटी देता है। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए उनकी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करना, बल्कि सभी अल्पसंख्यकों, धार्मिक या भाषाई, को

अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने में सक्षम बनाना। यह संस्थान सच्चाई और वास्तविकता में अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थान होने चाहिए, न कि केवल छद्म दिखावा। वे ऐसी संस्थाऐं हो सकती है जिनका उद्देश्य अल्पसंख्यकों के बच्चों को सर्वोत्तम सामान्य और व्यवसायिक शिक्षा देना, उन्हें देश का सम्पूर्ण पुरूष और महिला बनाना और उन्हें पूरी तरह से तैयार और सुसज्जित दुनिया में जाने में सक्षम बनाना है। वे ऐसे संस्थान हो सकते है जहां अल्पसंख्यक बच्चों के लाभ और उन्नति के लिए विशेष प्रावधान किये जाते हैं। वे ऐसी संस्थाऐं हो सकती है जहां अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के माता-पिता यह उम्मीद कर सकते है कि उनके धर्म के मूल सिद्धांतों के अनुसार शिक्षा, शिक्षकों द्वारा या उनके मार्गदर्शन में, सीखी हुई और आस्था से भरी हुई प्रदान की जायेगी। वे ऐसे संस्थान हो सकते है जहां माता-पिता अपने बच्चों से एक ऐसे व्यापक माहौल में बडे होने की उम्मीद करते हैं जो उनके धर्म के अनुरूप हो या उसके पालन के लिए अनुकूल हो। जो महत्वपूर्ण और अनिवार्य है वह यह है कि संस्थान को अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थान के रूप में पहचाने जाने के लिए कुछ वास्तविक सकारात्मक सूचकांक मौजूद होना चाहिए। हम पहले ही कह

चुके है कि वर्तमान मामले में ऐसोशियेशन के ज्ञापन में वर्णित वस्तुओं में से एक में आने वाले आधा दर्जन शब्दों एक ईसाई अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में के अलावा, ज्ञापन या ऐसोसिएशन के लेखों में कुछ भी नहीं है। समाज के कार्यों में यह इंगित करने के लिए कि संस्था का उद्देश्य एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान होना था। जैसा कि हमने पहले ही पाया है कि इन आधा दर्जन शब्दों को केवल अनुच्छेद 30(1) का लाभ प्राप्त करने के लिए पेश किया गया था। वह धुंधला आयना था।"

28. एस. अजीज बाशा और अन्य बनाम भारत संघ आदि एआईआर 1968 एससी 662(पैरा 19) वाले मामले में न्यायालय ने संवैधानिक प्रावधानों पर विचार किया और निम्नानुसार निर्धारित किया:

"अनुच्छेद 30(1) के तहत, "सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वे धर्म या भाषा के आधार पर हो, अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होगा।" हम वर्तमान याचिकाओं में इस धारणा पर आगे बढेंगे कि मुस्लिम धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक है तो फिर अनुच्छेद 30(1) का दायरा क्या है और उसमें धार्मिक अल्पसंख्यकों को वास्तव में क्या अधिकार दिया गया है? यह हमारे दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट है कि अनुच्छेद

30(1) यह मानता है कि धार्मिक समुदाय को अधिकार हो कि वह अपनी पसन्द के शैक्षणिक संस्थानों को स्थापित एवं प्रशासित करें, जिसका अर्थ है कि जहां एक धार्मिक अल्पसंख्यक एक शैक्षणिक संस्थान स्थापित करता है, उसे उसका प्रशासन करने का अधिकार होगा। इस आशय का एक तर्क उठाया गया है कि भले ही धार्मिक अल्पसंख्यक ने शैक्षणिक संस्थान की स्थापना नहीं की हो, फिर भी उसे इसका प्रशासन करने का अधिकार होगा, यदि संविधान लागू होने से पहले वह किसी प्रक्रिया द्वारा इसका प्रशासन कर रहा था। हम इस तर्क को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। हमारी राय में अनुच्छेद स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि अल्पसंख्यकों को अपनी पसन्द के शैक्षणिक संस्थानों को संचालित करने का अधिकार होगा, बशर्ते उन्होंने उसे स्थापित किया हो, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद का यह अर्थ यह नहीं लगाया जा सकता कि भले ही शैक्षणिक संस्थान किसी और द्वारा स्थापित किया गया हो, किसी भी धार्मिक अल्पसंख्यक को इसे प्रशासित करने का अधिकार होगा, क्योंकि, किसी कारण या अन्य कारण से, वह संविधान लागू होने से पहले इसे प्रशासित कर रहा होगा। अनुच्छेद में ''स्थापित करें और प्रशासन करें' शब्दों को संयुक्त रूप से पढा जाना चाहिए और इसलिए इसे पढने

से अल्पसंख्यक को शैक्षणिक संस्थान का प्रशासन करने का अधिकार मिल जाता है, बशर्ते कि यह उसके द्वारा स्थापित किया गया हो। इस संबंध में हमारा ध्यान निम्नलिखित की ओर आकर्षित किया गयाः केरल शिक्षा विधेयक 1957 का मामला, 1959 एससीआर 995:(एआईआर 1950 एससी 956) जहां, यह तर्क दिया गया है, इस न्यायालय ने माना था कि अल्पसंख्यक एक शैक्षणिक संस्थान का प्रशासन कर सकते हैं, भले ही वह उनके द्वारा स्थापित नहीं हो स्थापित नही किया गया है। उस मामले में यह तर्क दिया गया था कि अनुच्छेद 30(1) के तहत सुरक्षा केवल संविधान लागू होने के बाद स्थापित शैक्षणिक संस्थानों को दी गई थी। इस तर्क को इस न्यायालय ने इस स्पष्ट कारण से खारिज कर दिया कि यदि वह व्याख्या अनुच्छेद 30(1) को दी गई तो इसकी अधिकांश सामग्री नष्ट हो जायेगी। लेकिन हमारी राय में उस मामले में यह नहीं कहा गया कि अनुच्छेद 30(1) में ''स्थापित करें और प्रशासन करें' शब्दों को विच्छेदित रूप से पढा जाना चाहिए, ताकि भले ही किसी अल्पसंख्यक ने कोई शैक्षणिक संस्थान स्थापित न किया हो, लेकिन उसे इसे प्रशासित करने का अधिकार हो। यह सत्य है कि एससीआर के पृष्ठ 1062 (एआईआर के पृष्ठ 992 पर)

न्यायालय ने अनुच्छेद 30(1) में अल्पसंख्यक को दो अधिकार देने की बात कही, यानि (i) स्थापना करना और (ii) प्रशासन करना। लेकिन ऐसा केवल उस तर्क को पूरा करने के संदर्भ में कहा गया था कि संविधान लागू होने से पहले अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित शैक्षणिकसंस्थानों को अनुच्छेद 30 (1)का संरक्षण नहीं था। हमारी राय है कि उस मामले में कुछ भी याचिकाकर्ताओं की ओर से उठाये गये इस तर्क को उचित नहीं ठहराता है कि अल्पसंख्यकों को एक शैक्षणिक संस्थान का प्रबन्धन करने का अधिकार होगा, भले ही संस्थान उनके द्वारा स्थापित न किया गया हो। अनुच्छेद 30(1) के दो शब्दों को एक साथ पढा जाना चाहिए और इसलिए पढा जाना चाहिए कि यह अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को उनके द्वारा स्थापित संस्थानों का प्रशासन करने का अधिकार देता है। यदि शैक्षणिक संस्थान किसी अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित नहीं किया गया है तो वह अनुच्छेद 30(1) के तहत इसके प्रशासन के अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। इसलिए हमें इस बात पर विचार करना होगा कि क्या अलीगढ विश्वविद्यालय की स्थापना मुस्लिम अल्पसंख्यक द्वारा की गई थी; और यदि ऐसा स्थापित होता है, तो अल्पसंख्यक को निश्चित रूप से इसे प्रशासित करने का अधिकार होता।

(जोर दिया गया)

29. इस न्यायालय द्वारा निर्णयों की श्रृंखला में व्यक्त की गई राय के मद्देनजर, इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता है कि भारत में अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है और राज्य सरकार या विश्वविद्यालय ऐसे संस्थान के अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों द्वारा किये जाने वाले नियमित प्रबन्धन में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। साथ ही, न्यायालय ने इंगित किया कि यद्यपि अनुच्छेद 30 स्वयं किसी अल्पसंख्यक के शैक्षणिक संस्थान को संचालित करने के अधिकार पर कोई सीमा नहीं लगाता है, लेकिन यह अधिकार पूर्ण नहीं है, यह संस्था के लाभ के लिए उचित नियमों के अधीन है। राज्य सरकार और विश्वविद्यालय ऐसे संस्थान के मानक और उत्कृष्टता को बनाये रखने के लिए समय-समय पर निर्देश जारी कर सकते हैं जो राष्ट्रीय हित में आवश्यक हों।

30. जहां तक सरकारी संकल्प दिनांक 4.7.2008 का प्रश्न है, यह अल्पसंख्यक दर्जा देने की प्रक्रिया निर्धारित करता है। संकल्प, अन्य बातों के साथ, महाराष्ट्र राज्य के उन लोगों जिनकी मातृ भाषा मराठी के अलावा अन्य भारतीय भाषा है, को अनुमति देता है कि वे अपने भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान की मान्यता के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के पात्र होंगे। एक मात्र शर्त यह है कि सोसायटी/संस्था की प्रबन्धन

समिति के न्यूनतम 2/3 ट्रस्टी संबंधित अल्पसंख्यक समुदाय से होने चाहिए।

31. मामले पर गहन विचार करने के बाद और इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के आलोक में, हमें यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि किसी भी राज्य में किसी संस्थान के लिए अल्पसंख्यक/भाषाई दर्जे का दावा करने के लिए, अधिकारियों को पहले सन्तुष्ट होना चाहिए कि यह संस्था उन व्यक्तियों द्वारा स्थापित की गई है जो उस राज्य में अल्पसंख्यक है; और, दूसरे, उक्त अल्पसंख्यक भाषाई संस्था के प्रशासन का अधिकार भी उन व्यक्तियों में निहित है जो ऐसे राज्य में अल्पसंख्यक है। संविधान के अनुच्छेद 30 द्वारा प्रदत्त अधिकार की व्याख्या इस प्रकार नहीं की जा सकती है कि चाहे किसी भी व्यक्ति ने राज्य में अल्पसंख्यक व्यक्तियों के लाभ के लिए संस्था की स्थापना की हो, कोई भी व्यक्ति, चाहे वह अन्य स्थान पर गैर-अल्पसंख्यक हो, संस्था का प्रशासन और संचालन कर सकता है। इसलिए हमारी सुविचारित राय में, उत्तरदाता-प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश और डिवीजन बैंच द्वारा पारित आदेश में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए, हम इस अपील में कोई बल नही पाते है। तदनुसार खारिज की जाती है।

के.के.टी.

अपील खारिज

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से न्यायिक अधिकारी श्री रविन्द्र कुमार-II (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है ।

<u>अस्वीकरण</u>- इस निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

*****